उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक C/4161 / जबलपुर, दिनांक 10/10/2017

रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक सी/2811/दो–15–24/77 भाग–दो, जबलपुर दिनांक 05.07.2017 के अनुक्रमांक–26 द्वारा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर में कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन से संबंधित मामलों के निराकरण के लिये गठित शिकायत समिति में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती दीपा उपाध्याय, सहायक संपादक (आई.एल.आर.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को अस्थायी रूप से अनुभाग अधिकारी (स्थापना) के स्थान पर शिकायत समिति का सचिव एवं श्रीमती नीतू विवेक बंसोड़ अनुवादक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को कु. ताप्ती मुखर्जी, सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारी के स्थान पर शिकायत समिति का सदस्य मनोनीत किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार

सही/–
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4162 / जबलपुर, दिनांक 10/10/2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.),
3. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार, प्रशा./न्या. एक एवं दो/डी.ई./ई./आई.एल./निरीक्षण एवं सतर्कता/ एक्जाम एवं लेबर ज्यूडीशरी/कम–पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. रजिस्ट्रार (आई.टी.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
6. ओ.एस.डी. .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार,....................उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
11. असिस्टेंट रजिस्ट्रार.................... उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. अनुभाग अधिकारी, स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
14. माननीय न्यायाधिपति सुश्री वंदना कसरेकर महोदया के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
15. माननीय न्यायाधिपति श्रीमती नन्दिता दुबे, महोदया के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर
16. माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, महोदया के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर

17. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
18. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)/सतर्कता/आई.एल.आर एण्ड एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
19. प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ कि आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु,
20. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
21. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
22. श्रीमती दीपा उपाध्याय, सहायक संपादक (आई.एल.आर.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
23. श्रीमती नीतू विवेक बंसोड़, अनुवादक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(चन्देश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक B/5429 / जबलपुर, दिनांक 10 / 10 / 2017

श्री मुनीश्वर सिंह, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को रजिस्ट्री आदेश क्र. सी / 3500 जबलपुर, दिनांक 26.08.2017 के पालन में भृत्य के पद पर जिला एवं सत्र न्यायालय, सागर की स्थापना पर स्थानांतरण पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 10.10.2017 अपरान्ह से कार्यभार मुक्त किया जाता है।

सही/-
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक B/5430 / जबलपुर, दिनांक 10 / 10 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर की ओर इस रजिस्ट्री के आदेश पृष्ठांकन सी / 3501 जबलपुर, दिनांक 26.08.2017 के तारतम्य में,
2. रजिस्ट्रार प्रशासन / कम–पीपीएस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर / सागर,
4. रजिस्ट्रार आई.टी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. ज्वाईंट रजिस्ट्रार(प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार(न्या.) के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(स्थापना), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
12. अनुभाग अधिकारी स्थापना / लेखा / बजट / पेंशन / कार्य / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. सहायक स्थापना / अवकाश / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. श्री मुनीश्वर सिंह, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

10.10.17

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार(प्रशा.)

::–::

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4154/ जबलपुर, दिनांक 10/10/2017

श्रीमती अंकिता कपूर पत्नि स्व. श्री संदीप कपूर, को सहायक ग्रेड–तीन के पद पर वेतन बैंड–1 में वेतनमान रूपये 5200– 20200 + ग्रेड पे रू. 1900) में नियमानुसार समय–समय पर देय भत्तों सहित 2 वर्ष की परीवीक्षा पर डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन उत्त्तीण करने की शर्त को शिथिल करते हुए अनुकंपा नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि में डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्त्तीण करना होगी, अन्यथा असफल रहने पर उनकी सेवायें समाप्त कर दी जावेगी, उन्हें अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नांकित शर्तो के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर की स्थापना पर नियुक्त किया जाता है :–

1. यह कि, वे शपथ ले कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगी।

2. यह कि वे 15 दिवस के अंदर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, खण्डपीठ इंदौर के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है । यह कि मैंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी है एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं । यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेंगी तथा मेरे विरूद्व असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता हैं तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा ।

3. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूलप्रतियों को लेकर उपस्थित होंगी। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि वे अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करती है तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा ।

4. यह कि, उन्हें मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ–9/3/2003/नियम/चार भोपाल, दिनांक 13–04–2005 के अनुसार पारिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू होगी।

5. यह कि, उन्हें स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण–पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगी और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगी। उन्हें स्वाध्यायी छात्रा के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

7. यह कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।

8. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगी तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।

9. यह कि उन्हें किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

10. यह कि उन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वमेव निरस्त समझी जावेगी ।

11. यह कि उन्हें लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्ते मान्य हैं और भविष्य में समय–समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे एवं सभी शर्तो के संबंध में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा ।

12. यह कि वे पाँच वर्ष तक स्थानांतरण के संबंध में कोई आवेदन–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानांतरण संबंधी आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकेगा।

13. यह कि उन्हें शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण– पत्र, शपथ–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार दे सकेंगे।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

सही/–
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/4155/ जबलपुर, दिनांक 10/10/2017

प्रतिलिपि –

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर, म.प्र.,
2. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1, 2/डी.ई/ई./आई.एल./एक्जाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी/कम–पी.पी.एस./सतर्कता, उच्च न्यायालय म.प्र, जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रति अपलोड हेतु,
5. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. डिप्टी रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार .... उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. अनुभाग अधिकारी स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
12. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/आई. एल.आर एवं एक्जाम महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवा पुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
14. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
15. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
16. श्रीमती अंकिता कपूर पत्नि स्व. श्री संदीप कपूर क्वार्टर नंबर–जे.एच.–4, रेसीडेन्सी एरिया, जिला जेल के पास, रेडियो कॉलोनी, इंदौर, इंदौर म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)